



औपनिवेशिक सम्पर्क का मेवाड़ पर समग्र प्रभाव

शोध निर्देशक
डॉ० भानु कपिल
इतिहास विभाग
बी. एन. विश्वविद्यालय
उदयपुर (राजः)

शोधार्थी
सुरेश जोशी
इतिहास विभाग
बी. एन. विश्वविद्यालय
उदयपुर (राजः)

राजस्थान का इतिहास अनेक सपूता, वीरों, वीरांगनाओं के शायर और बलिदान की कहानी है, जो युग युगान्तर से देश की उज्ज्वल कीर्ति को प्रकाशित करती रही है। परन्तु अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण से इस स्थिति में गिरावट आ गई। मुगलकालीन शासकों के संरक्षण ने यहां के राजाओं को आलसी और निष्क्रिय बना दिया। आपसी संघर्ष, गृह-युद्ध, सामन्तों का विद्रोह तथा अव्यवस्था और धनाभाव आदि दोषों ने राज्यों की नींव को खोखला कर दिया। आर्थिक पूर्ति के लिए करो का भार प्रजा पर लादा जाने लगा और अव्यवस्था का दौर यहां घर कर गया। ऐसी स्थिति में पिंडारियों और मराठों की घुसपैठ ने तथा लूट-पाट की प्रवृत्ति ने जन-जीवन और शासन को अस्त-व्यस्त कर दिया। इस दशा से मुक्ति पाने के लिए 18वीं शताब्दी के अन्तिम व 19वीं शताब्दी के आरम्भ से ही यहां के शासक किसी ऐसी शक्ति की शरण ढूंढने लगे जिससे उनका अस्तित्व भी बना रहे और सामन्तों की शक्ति का दमन हो सके। वह शक्ति अंग्रेजी सत्ता की थी जो पिंडारियों, मराठों और अन्य देशी राज्यों का दमन कर अपनी प्रभुसत्ता कायम करना चाहती थी।¹

¹ (i) डॉ. गोपीनाथ शर्मा (2004) में आधुनिक राजाधान का इतिहास, ग्रन्थ विकास, जयपुर 134-135

(ii) वंश भास्कर भाग - 4, पृ.सं. 2917, 3040-54

मराठा शक्ति को कुचलने और पिण्डारियों के आतंक को समुल नष्ट करने के उद्देश्य से राजपूत राज्यों के साथ मित्रता की प्रक्रिया कर उन्हें अपने संरक्षा में लेने की ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा अपनाई गई नीति के फलस्वरूप 15 नवम्बर 1817 ई. को करोली राज्य के साथ संधि की गई। फिर 26 दिसम्बर 1817 ई. को कोटा राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कर ली। इसके बाद एक-एक कर अन्य राज्यों और मेवाड़ राज्य ने 22 जनवरी 1818 ई. को ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ संधिकर कम्पनी का संरक्षण प्राप्त कर लिया। इस तरह मेवाड़ में अराजकतापूर्ण काल का अन्त हुआ और सर्वत्र शान्ति स्थापित की गई।²

ईस्ट इण्डिया कम्पनी से संरक्षण प्राप्त मेवाड़ राज्य में अराजकता व लूट-खसोट का अन्त हो गया और सर्वत्र शान्ति और कानून की व्यवस्था स्थापित हो गई। अंग्रेजों के आधिपत्य से राजस्थान में युगान्तकारी परिवर्तन हुए। विदेशी सत्ता, संस्कृति तथा आचार-विचार का प्रभाव राजस्थान के जन-जीवन पर शनैः शनैः पड़ने लगा। आगे चलकर राजस्थान के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों में प्रभावशाली परिवर्तन आये। इस काल तक राजा-महाराजा शक्तिविहीन हो चले थे। उनके प्राचीन गौरव की गरिमा गिर चुकी थी।³

मेवाड़ महाराणा ने संधि ने द्वारा एक प्रकार से अपनी राजनीतिक और आर्थिक स्वाधीनता को अंग्रेजों के पास गिरवी रख दिया। फलतः उन्होंने सार्वभौमिकता के समस्त

(iii) फो.पो. लेक का पत्र वेलेजली को 8 दिसम्बर, 1863 रा.अ. कोट पो. गवर्नर जनरल पत्र का पत्र लेन को 18 जुलाई, 1903 रा.अ.

² डॉ. उम्मेदसिंह इन्दा (2005) "राजस्थान में स्वाधीनता संघर्ष राज्य शासन एवं राजनीति" राजस्थानी ग्रन्थगार, जोधपुर पृ.सं. 7-8

A. बेस, सुखबीर सिंह (2006) "मध्य भारत की देशी रियासतों में ब्रिटीश हस्तक्षेप" राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर पृ.सं. 71-74

³ जन एम.एस. (2009) "आधुनिक राजस्थान का इतिहास", पंचशील प्रकाशन, जयपुर पृ.स. 46-48

A. डॉ. ब्रजकिशोर शर्मा (1993) "आधुनिक राजस्थान का आर्थिक इतिहास (1818-1949) पब्लिकेशन स्कीम, जयपुर पृ.सं. 12-13

अधिकार खो दिये। अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ी जनता का शोषण आरम्भ हो गया। मेवाड़ महाराणा अंग्रेजों के संरक्षण में अपनी प्रशासनिक कुशलता और दक्षता खो बैठे।

शासक वर्ग पर प्रभाव – ब्रिटीश संरक्षण प्राप्त कर रियासती शासक अधिक निरंकुश तथा स्वैच्छाचारी बन बैठे। पजा से तालमेल रखने वाले शासक ब्रिटीश संरक्षण पाकर और अधिक निरंकुश बन गये। ब्रिटीश हुक्मरानों की मेहरबानी ही उनके शिरोधार्य हो गयी। ब्रिटीश संरक्षण ने एक ओर राजाओं को अकर्मण्य और श्वेच्छाचारी बनाया वहीं इससे और अकर्मण्यता एवं कुशासन का आरोप लगाकर प्रान्तों के आन्तरिक मामला में अधिक हस्तक्षेप किया जाने लगा।⁴

1818 ई की सन्धियों के परिणामस्वरूप शासकीय वर्ग के कार्य-कलापों एवं कार्यों में अभूतपूर्व प्रभाव दिखाई देने लगा। सारांशतः शान्ति के पश्चात् जब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने देशी शासकों को उनके राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करने का वायदा किया तब भी ब्रिटीश भारत सरकार ने अधीनस्थ सहयोग के नाम पर शासकों और सामन्तों तथा सामन्तों और अधिकारियों व पजा के मध्य फूट के बीज पनपाने आरम्भ कर दिये थे। राज्यों में शान्ति और व्यवस्था के नाम पर कहीं शासन को दबाने कहीं सामन्तों को कुचलने तो कहीं अधिकारियों को जमाने की सैनिक, राजनीतिक और कुटनीतिक कार्यवाहियां की गईं।⁵

राज्यों में नियुक्त पोलिटीकल एजेन्ट अथवा रेजीडेन्ट शासक की अवहेलना कर राज्य-प्रशासन में अनाधिकृत हस्तक्षेप करते रहते थे। वे ब्रिटीश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे और देशी शासकों को अपने प्रति उत्तरदायी मानते थे। इस कारण राज्य में ब्रिटीश समर्थक पदाधिकारियों द्वारा रेजीडेन्टों के प्रति जागृत होने लगी और वे उनके आदेशों से काय करने लगे। जनता में भी शासक से अधिक भय इन ब्रिटीश अधिकारियों का था। तब एक कहावत भी प्रचलित हुई कि रेजीडेन्सी को एक छींक समस्त राज्य को बीमार कर देती थी।

⁴ औझा . गौरीशंकर हीराचन्द (1932) "उदयपुर राज्य का इतिहास" वैदिक यंत्रालय, अजमेर पृ. सं. 119-122

⁵ डॉ. के. एस. गुप्ता/डॉ. गोपाल व्यास/डॉ. जेट ओसा (1998) "राजस्थान का इतिहास" (1433-1900 ई.) शिवा पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, उदयपुर पृ.सं. 134-135

शासकों के पास जब कोई निर्णयात्मक और संचालनात्मक कार्य नहीं रहा. तो वे निष्क्रिय होकर भोग-विलास, ब्याल-तमाशों, शिकार-यात्रा आदि में मस्त रहने लगे। इसीलिये राज्यों में प्रजा अपने निवेदनों के लिये ब्रिटीश सर्वोच्चता के प्रति अनुकूल होने लगी। राजस्थान में ब्रिटीश सर्वोपरिता ने राज्यों के सामन्तों को भी करदाता बना दिया था। इस प्रकार स्वामीभक्त सेवक की पंक्ति में गिने जाने वाले सामन्त व राज्य के प्रतिष्ठित प्रजाजन बन गये। इसी संदर्भ में सामन्तों के विशेषाधिकार समाप्त करने की कार्यवाहियां भी की गई। उनमें भी ब्रिटीश शक्ति के भाव जगाने के प्रयत्न किये गये।⁶

राजस्थान में नरेशों (शासकीय वर्ग) और उनके सामन्तों में सहयोग की भावना प्राचीन काल से चली आ रही थी। इस स्थिति में कुछ बदलाव मुगलों के समय में आया। अंग्रेजों ने इनको नरेशों से कुछ हद तक मुक्ति दिलाने के लिए तथा उनकी सैनिक सेवाओं के बदले नरेशों से निर्धारित रकम दिलाने के लिए कौलनामें करवा दिए। नरेशों और सामन्तों के विवादों की वृद्धि ने अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने के अवसर प्रदान किये और वे अपनी सार्वभौम सत्ता की नीति के पर्दे की आड़ में खुलकर हस्तक्षेप करने लगे। इस कुटनीति को वैधानिक स्वरूप देने के लिए सरदारों के कौलनामों में नरेशों और सामन्तों के बीच समझौते के परिपालन कराने का उत्तरदायित्व कम्पनी ने अपने ऊपर ले लिया। इस प्रकार की व्यवस्था से राज्यों की आन्तरिक स्वाधीनता अपने आप समाप्त हो गई और सार्वभौम अधिकार की मान्यता का पलड़ा भारी हो गया।⁷

सामन्त वर्ग पर प्रभाव – टॉड की मान्यता थी कि राजस्थान का राजनैतिक संगठन ही सामन्तवादी था, जिसमें सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति भूमिपतियों के एक वर्ग के हाथों निहित थी,

⁶ (i) राजपूताना गजेटियर पृ.सं. 295-296

(ii) ओझा, सिरोही राज्य का इतिहास पृ.सं. . 283-291

⁷ (i) ओझा, सिरोही राज्य का इतिहास पृ.सं. 283-291

(ii) टॉड पूर्वोल, भाग 1, पृ.सं. 564-572

(iii) बुक, हिस्ट्री ऑफ मेवाड़, पृ. 71

पर एल्फ्रेड लायल⁸ का विचार था कि, जागोरों और केन्द्रीय सत्ता का यह संगठन राजपूत जाति एवं उसके गोत्र संगठना पर अधिक आश्रित था। 16 वीं शताब्दी के पश्चात् मुगल सामन्त व्यवस्था की जागीरदारी प्रथा ने मेवाड़ की सामन्तशाही को प्रभावित किया फलतः राणा अमरसिंह प्रथम ने भौमिया और ग्रासिया नामक जागीरदारी वर्गों का निर्माण किया था। सामन्त पांच श्रेणियों में विभाजित थे। प्रथम श्रेणी के **उमराव** जो राजनीतिक – सामाजिक प्रतिष्ठा एवं आर्थिक स्थिति में राणा के पश्चात स्थान रखते थे। **राव** – इन सामन्तों को सेना सहित राजधानी में उपस्थित रहना पड़ता था। **गोल के सरदार** – यह सामन्तों की तृतीय श्रेणी राणा अमरसिंह द्वारा बनाई, स्थाई सैनिक सेवा प्राप्त करने के लिये बनाई गई थी। **भामिया और ग्रासिया** – चौथी श्रेणी के यह जागीरदार सामन्त भी राज्य सैनिक सेवा के लिये बाधित रहते थे। **विशिष्ट श्रेणी** – इस श्रेणी को मेवाड़ की लोकभाषा में आई-बाबा कहा जाता था।

ब्रिटीश संरक्षण प्राप्त होने के उपरान्त मेवाड़ के सामन्त वर्ग की राजनीतिक प्रतिष्ठा कम हुई। बेरोजगारी बढ़ी। सामन्तों में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा। शनैः शनैः सामन्त वर्ग राजकीय कार्यों में कम और विलासिता में अधिक रुचि लेने लगे। उनके अधिकारों में कटौति हुई। जो सामन्त नरेशों के साथ कन्धे से कंधा मिलाकर अपने-अपने राज्य के हितों की रक्षा के लिए हमेशा उद्यत रहते थे। उनमें से कुछ जो महत्वाकांक्षी थे। अंग्रेजों के प्रभुत्व को पहिचान अपने नरेशों से अपने वंश परम्परागत अधिकारों और मर्यादाओं की मांग पर बल देने लगे, क्योंकि उनके नरेश या तो निर्बल थे या वे अपने अधिकारों की वृद्धि कर सामन्तों की शक्ति घटाना चाहते थे। मेवाड़ में महाराणा स्वरूपसिंह की सलुम्बर व रावत केसरी सिंह से विरोध की घटना बड़े लम्बे समय तक चलती रही। महाराणा और सरदारों के झगड़ों में कर्नल लॉरेन्स और कर्नल लॉ ने मध्यस्थता कर अपने सार्वभौम अधिकार के दबाव का खूब प्रयोग किया।⁹

⁸ सर अल्फ्रेड लायल (1882) " एशियाटिक स्टडीज : रिलोजिअन्स एण्ड सोशियल" पृ.सं. 207-219

⁹ (i) वीर विनोद, भा.1, पृ.1342-1343

(ii) बुक हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ पृ.सं., 67-69

ब्राह्मण वर्ग पर प्रभाव –

1818 ई. की सधियों से पूर्व राजपूताना के राजा-महाराजाओं द्वारा अपने धार्मिक कार्यों के संपादन एवं पुरोहित का कार्य करने के लिए ब्राह्मण वर्ग पर आश्रित थे। राज्य में राजा के बाद ब्राह्मण वर्ग का ही प्रभुत्व था। राजा के सहयोगी के रूप में ब्राह्मण वर्ग ने पीढ़ियों मेवाड़ के महाराणाओं की सेवा की थी। राज्याभिषेक हो या अन्य धार्मिक कार्य ब्राह्मण वर्ग द्वारा ही समपन्न किए जाते थे। परन्तु 1818 ई. की सधियों के परिणामस्वरूप राज्य में अब ब्राह्मण वर्ग की भूमिका नगण्य हो गई। राजा अंग्रेजों पर आश्रित थे, और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ब्राह्मण वर्ग को भी सत्ता में भागीदारी दी जाए। अतः धीरे-धीरे राज्य में ब्राह्मण वर्ग का प्रभुत्व कम होता गया।

नरेशों के अधिकार क्षेत्रों में राजनीतिक, सैनिक, न्यायिक, धार्मिक आदि विषय थे। वे अपने सलाहकारों, मन्त्रियों, राजदूतों एवं उच्चाधिकारियों को नियुक्तियाँ व अलहदगी करते थे जिनको कोई चुनौति नहीं दे सकता था। राज्य की आय-व्यय की देख-रेख, विभागों का निरीक्षण, अपराधियों को दण्ड देने आदि के काम वे देखते थे। युद्ध का संचालन व अनुदान देने काम वे स्वयं करते थे। जनता उन्हें माई-बाप कहकर पुकारती थी। गौ और ब्राह्मणों के रक्षक होने से उनको " गौ ब्राह्मण प्रतिपाल" कहा जाता था।¹⁰

परम्परागत जीवन में ब्राह्मण पुजा-पाठ, कर्म काण्ड, यज्ञादि एवं कथा वार्ता का काम करते थे परन्तु कुछ व्यापार-वाणिज्य व प्रशासनीय सेवा भी करने लगे। जिन ब्राह्मणों को उद्धक की भूमि दी गई थी वे कृषि कार्य भी करने लगे। श्रीमाली ब्राह्मण मेवाड़ में खेती करने में अच्छे माने जाते हैं। राजपूत कुलों में सैनिक सेवा के प्रति अधिक आकर्षण है और अंग्रेजों ने भी इन्हें सैनिक सेवा में प्राथमिकता देना शुरू किया था। यहां के नरेशों में उच्च कुलीन ब्राह्मणों

¹⁰ (i) डॉ. गोपीनाथ धर्मा (1994) "आधुनिक राजस्थान का इतिहास", ग्रन्थ भारती, जयपुर पृ.सं. 222-223

(ii) डॉ. जी. एन. शर्मा "राजस्थान स्टडीज", पृ.सं. 178-179

(iii) वाल्टर मेजर पृ.सं. 14

आर्थिक प्रभाव – ब्रिटीश संरक्षण प्राप्त करने से सबसे ज्यादा प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा। आर्थिक क्षेत्र में ब्रिटीश साम्राज्य का प्रभाव राजस्थान के जनमानस के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। कुटीर उद्योग धन्धों का पतन होने लगा। नमक पर कर बढ़ा दिए। अफीम की खेती नियंत्रित करने से खेतीहर मजदूरों को अत्यधिक हानि हुई। ब्रिटीश संरक्षण ने राजाओं पर दबाव डाला कि वे अपनी सेनाएं कम करे जिससे बेरोजगारी को बढ़ावा मिला। राजा महाराजाओं न विलासिता का जीवनयापन करने के लिए जनसाधारण पर अत्यधिक कर बढ़ा दिए।¹¹

औपनिवेशिक सम्पर्क का आर्थिक प्रभाव –

ब्रिटीश आधिपत्य स्थापित हो जाने के बाद राजस्थानी राज्यों की प्रशासन व्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किये तथा नये प्रशासनिक नियम लागू किये। ब्रिटीश शासन में पोलिटिकल एजेंट अपने-अपने क्षेत्र में सर्वेसर्वा थे। 19वीं शताब्दी के अन्त तक राजस्थान के राज्यों का प्रशासन ब्रिटीश प्रान्तों के अनुरूप हो गया। प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन की दिशा में कार्यान्वित किये गये नये नियमों का सर्वाधिक प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में पड़ा, क्योंकि राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ ब्रिटीश सरकार के आर्थिक हित जुड़े हुए थे।

1818 ई. की संधियों के पश्चात् कुछ समय तक राजस्थान आर्थिक शोषण से बचा रहा जो अंग्रेजी भारत में व्यापक बन चुका था। धन निष्कासन की प्रक्रिया भारतीय राज्यों पर कुछ ही अंशों में लागू थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अंग्रेज प्रशासकों तथा अधिकारियों का प्रयत्न इस दिशा में रहा कि राजस्थान के विभिन्न राज्यों पर दबाव डालकर आर्थिक नीतियों को परिवर्तित करवा दें। राज्यों को मुख्यतः यह परामर्श दिया गया कि व्यापार और आवागमन के साधनों की वृद्धि से उनके राज्य की आय तथा सामान्य नागरिकों की आर्थिक स्थिति में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी होगी। यातायात के मार्गों के विस्तार और संचार माध्यमों के विकास से ही राजस्थान के राज्यों को साम्राज्य की आर्थिक नीतियों के प्रभाव में लाया जा सकता था। शासकों को विभिन्न प्रलोभन देकर तथा कुछ स्थानों पर दबाव डालकर सड़क निर्माण आर

¹¹ गोपाल व्यास (1993) "मेवाड़ का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन" (18वीं-19वीं शताब्दी) राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर पृ.सं. 25-27

रेलो के विस्तार के लिए स्वीकृति देने और साथ ही सीमा शुल्क समाप्त करने पर बाध्य किया।¹²

ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रायः वस्तु-विनिमय पर आधारित थी। इस अवस्था को तोड़ना भी आर्थिक शोषण के लिए आवश्यक था, क्योंकि जब तक गांवा की आत्म निर्भरता नहीं टूटेगी उस समय तक कृषि-उत्पादनों को साम्राज्यवादी नीति के अधीन नहीं लाया जा सकगा। अंग्रेजों की आर्थिक नीति एवं यातायात और वाणिज्य के प्रसार तथा भूमि-व्यवस्था का मुद्रीकरण राजस्थान के राज्यों को औपनिवेशिक शिकंजे में कस देने के लिए सहायक हुई।

राजस्व व्यवस्था का कृषक वर्ग पर प्रभाव — 1818 ई. में ईस्ट इन्डिया कम्पनी और मेवाड़ के मध्य सन्धि के पश्चात टाड ¹³ ने लिखा है कि राज्य की अर्थ व्यवस्था को सजीव करने की ठेका व्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया था। इसमें हीजारा प्रणाली की प्रमुखता रही थी। हीजारे प्रदान की गई भूमि पर राजस्व का निर्धारण हिस्सो अथवा नकद कुंत द्वारा किया जाता था। इस कुंत करने में कृषक, हीजारदार तथा राज्य कर्मचारी सम्मिलित होते थे। ब्रिटीश अधिकारियों द्वारा बन्दोबस्त की प्रत्यक्ष वसूली से वैश्य-महाजन जाति की राजस्व वसूली भूमिका समाप्त होने लगी। अतः उनका कार्य मात्र लेन-देन तक सोमित होने लगा। सामन्त एवं ब्रिटीश अधिकारियों के विभिन्न लाग-बाग के नकद और जिन्स के अप्रत्यक्ष कराधनों ने भी जन-जीवन के आर्थिक भार को बढ़ा दिया था।

मेवाड़ का अधिकतर कृषक वर्ग दरिद्र एवं त्रासित जीवन व्यतीत करता था। उसे अपनी जीविका और पारिवारिक आर्थिक व्यवस्था हेतु वैश्य-महाजन या बोहरों की ओर ताकना पड़ता था। ऋणदाताओं का यह धनाढ्य वर्ग प्रदत्त राशि पर चक्रवर्ती ब्याज के चक से कृषको को बाहर नहीं आने देता था। यह चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। अन्ततः स्वयं की कृषि भूमि पर किसान ऋण प्रदाता साहूकारो या अन्य व्यक्ति का हाली (कृषि-मजदूर) बनकर रह जाता था या फिर भूमिहीन होकर कृषि मजदूरी का पेशा अपनाने पर मजबूर हो जाता था।

¹² डॉ. गोपीनाथ शर्मा (2004) आधुनिक राजस्थान का इतिहास, ग्रन्थ विकास जयपुर पृ.सं. 168-170

(A) इम्पीरियल गजेटियर, प्रो.सी. पृ.सं. 123-124 जोधपुर रेवाईज 1770 बी.आ.

लाग-बाग का प्रभाव शिल्पी तथा दस्तकारा पर कृषको जैसा नहीं था फिर भी इनकी स्थिति किसानों से अधिक भिन्न नहीं होती थी। कुशल श्रमिकों के रूप में इनसे लागतो के स्थान पर बैठ-बैगार ली जाती थी।⁷

सामाजिक प्रभाव – श्रेष्ठता के रूप में समाज में सर्वोच्च स्थान ब्राहमण वर्ग को प्राप्त था। पर बाहमण जातियां भी विभिन्न उपजातियों में विभाजित थी। अध्ययन-अध्यापन, पौराहित्य, ज्योतिष कार्य, धार्मिक कर्मकाण्ड, पाठ-पूजन इत्यादि व्यवसाय बाहमणोचित वृत्तियां मानी जातो थो। ब्रिटिश संरक्षण के उपरान्त बाहय खानपान तथा प्रशासनिक नियुक्तियों तथा राज्य सेवा के व्यामोह के फलस्वरूप बाहमणों की सामाजिक स्थिति में आन्तरिक परिवर्तन प्रारम्भ होने लगा था और कार्य विभाजन भी प्रारम हो गया था।¹⁴

मेवाड़ ईस्ट इण्डिया कम्पनी की संरक्षण सन्धि 1818 ई. के पश्चात आग्ल प्रशासन में जागीरदारों द्वारा अधिग्रहीत अनियमित अधिकारों को कम अथवा समाप्त करने का प्रयत्न आरम्भ किया। यद्यपि इन प्रयत्नों का प्रक्रियात्मक प्रवाह अत्यन्त शैथिल्यता लिए हुए था फिर भी अंग्रेजों ने ब्रिटीश पद्धति पर आधारित तीन सैनिक छावनियां राज्य में स्थापित की तथा इनमें आदिम जनजाति के लोगों¹⁵ (भील-मेर और मीणा) को भर्ती करना शुरू किया। राज्य की केन्द्रीय सेना को भी पाश्चात्य ढंग से गठित करने तथा उसमें विभिन्न पलटनों के सेनानायकों के रूप में राजपूत नायकत्व-अधिकारों को नष्ट किये जाने से, सामन्ती सेना का महत्व बिल्कुल ही समाप्त हो गया था। इन परिस्थितियों में राजपूत जाति के लोगों को मात्र कृषि कार्य करने पर बाध्य कर दिया, परिणामतः 19वीं सदी में सिकमी जागीरों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। भील, मेर, मीणा आदिम जातियों को स्थान देने से इन जातियों की उच्छृंखल प्रवृत्तियों पर रोक लगी ।

⁷ डॉ. ब्रजकिशोर शर्मा (1993) "आधुनिक राजस्थान का आर्थिक इतिहास (1818-1949 ई.) पब्लिकेशन्स स्कीम, जयपुर पृ.सं. 21-23

⁸ उदयपुर के उत्तर-पूर्व में नसीराबाद-दक्षिण में खेरवाड़ा तथा पश्चिम में कोटड़ा नामक स्थान ।

राजस्थान के नरेश और सरदार अब अधिक गैर-जिम्मेदार हो गये थे। प्रजा के प्रति इनमें कोई कर्तव्यबोध ही नहीं बचा था। संरक्षण के बाद अब उनका कार्य प्रजा के स्थान पर सर्वोच्च शक्ति को खुश रखना एवं एशोआराम करना मात्र रह गया था। असलियत तो यह है कि राजस्थान में ब्रिटीश नियंत्रण की स्थापना के बाद शासकों एवं जागीरदारों के पास भोग विलास तथा आमोद प्रमोद के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्नीसवीं सदी राजस्थान में अराजकता एवं संक्रमण काल से जानो जा सकती है। शासक एवं जागीरदार अनुत्तरदायी एवं विलासी हो गये थे।⁹

नई व्यवस्था के तहत राजस्थान के राज्यों की सेनाएँ लगभग भंग कर दी गयी थी। इन सेनाओं में कार्यरत सैनिक जातियाँ जो सदियों से अपनी रोजी-रोटी सैनिक सेवा के बदले प्राप्त कर रही थी, उनको बेरोजगारी का मुख देखना पड़ा। न केवल राज्यों की सेना भंग की गयी बल्कि जागीरदार जिनकी उत्पत्ति का सैनिक आधार रहा था, उनका सैनिक महत्व भी लगभग समाप्त हो गया था। इन्होंने भी सेना रखना बंद कर दिया। सैनिक जातियों की समस्या के अनेक आर्थिक एवं सामाजिक परेशानियाँ उत्पन्न की। अब इन बेरोजगार सैनिकों एवं सैनिक जातियों के समक्ष या तो कृषि क्षेत्र में प्रवेश का विकल्प बचा था अथवा लूट, डाका, चारी आदि अपराधिक कार्यों में प्रवृत्त हो सकते थे। इनमें नई व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश था। अतः ये लोग चोरी, डाका, लूट, राहजनी, हत्या आदि अपराधिक गतिविधियों में संलग्न हो गये थे।¹⁶

राजस्थान में अंग्रेजी प्रभाव के परिणामस्वरूप यहाँ के कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। प्रत्येक गांव सदियों से एक स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर आर्थिक इकाई के रूप में चला आ रहा था। वह आत्म निर्भरता अंग्रेजी प्रभाव में समाप्त हो गयी थी। अंग्रेजी राज का सबसे घातक प्रभाव कृषि एवं कृषको पर पड़ा था। औपनिवेशिक आर्थिक दबावों ने राजस्थान के कृषि, व्यापार एवं उद्योगों के विकास की संभावना को लम्बे समय के लिए समाप्त कर दिया था।

¹⁶ डॉ. गोपीनाथ शर्मा, सोशयल लाइफ इन मिडाइवल राजस्थान पृ.सं. 319-320

A. दि इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया जिल्द **XXI** पृ.सं. 133-134

राजस्थान की परम्परागत अर्थ व्यवस्था के चरमराने के परिणामस्वरूप पुरानी सामाजिक संरचना के आधार टूट गये। परम्परागत व्यापार वाणिज्य, कुटीर उद्योगों, खनन कार्यो आदि के पतन के कारण भारी जनसंख्या, बेरोजगारी एवं भुखमरी का जीवन बिताने पर मजबूर थी। जाति-प्रथा का बोलबाला था। राजस्थान की परम्परागत शिक्षा पद्धति एवं चिकित्सा पद्धति का ह्रास हो रहा था। भिक्षावृत्ति, वैश्यावृत्ति जैसे अपराध समाज का कलंक बन गये थे। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था एवं जन-जीवन नरकीय होन लगा था। निर्धनता एवं अशिक्षा अनेक सामाजिक विसंगतियों को जन्म दे रही थी। बाल-विवाह, सती-प्रथा जैसी अमानवीय व्यवस्थाएँ सामाजिक जीवन में विष घोल रही थी। शासन अत्याचारी था। किसान एवं आम जनता भय एवं आतंक के साये में जी रही थी। इन विषम सामाजिक स्थितियों में एवं भौतिक उत्थान की संभावनाएं क्षोण हो गयी थी।

1818 ई. में राजस्थान में अंग्रेजी सर्वोच्चता की स्थापना ने राजस्थान की आन्तरिक अशान्ति को तो समाप्त कर दिया था, किन्तु राजस्थान की जनता के आर्थिक शोषण की नई व्यवस्था आरम्भ हुयी थी जो अधिक सत्यनाशी सिद्ध हुई।

ब्रिटीश संरक्षण के बाद राजस्थान के राज्यों के समाज एवं संरचना में परम्परागत सयुक्त परिवार की स्थिति परिवर्तित होती दिखाई देती है। सरकारी नौकरियों में स्थानान्तरण, उद्योग धन्धों, शहरीकरण (लगान देय का दायित्व, सम्पत्ति का बंटवारा आदि ऐसे मुद्दे हैं जिनसे परिवार में विघटन की पवति मे वृद्धि हुई। सामाजिक जीवन और उससे सम्बन्धित संस्थाओं में लोकोत्सवों का महत्वपूर्ण स्थान ह। स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोकोत्सवों में स्पष्ट देखी जा सकता है। क्योंकि उनके साथ प्राचीन परम्पराएं तथा विचार -धाराएं जुड़ी रहती है। ये विचारधाराएँ धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक होती हैं, ऐसे लोकोत्सवों में गणगौर, होली, दशहरा और दिपावली है जिनकी महता सर्वविदित है। आज के बदलते परिवेश में ऋतुओं, धार्मिक पर्वा, वतां आदि के अवसरों पर लोक गीतों में उपवासों, नाच, गान, वेशभूषा की विविधताओं से यहां के वातावरण में नया जीवन व उमग दिखाई देती है।¹⁷

¹⁷ जी. एन. शर्मा – सोशल लाइफ इन मेडीवल राजस्थान, पृ.सं. 109–111

भारत में ब्रिटीश सत्ता की स्थापना के बाद भी प्रारम्भ में अंग्रेजों ने यहां धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया था। 1813 ई. के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में अपना धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। अतः भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ और वे भारतीयों का धर्म परिवर्तित कर उन्हें ईसाई बनाने के प्रयत्नों में लग गये। 1859 ई. में मिशनरियों पादरियों, शूल, ब्रेड और स्टील को राजस्थान के ब्यावर शहर में मिशनरी केन्द्र स्थापित करने हेतु भेजा गया था। 1860 ई. में राजस्थान के ब्यावर शहर में प्रथम मिशनरी केन्द्र स्थापित किया गया। 1862 ई. में अजमेर में मिशनरी केन्द्र खोला गया। शिक्षा के माध्यम से भी ईसाई धर्म का प्रचार किया गया। ब्रिटीश सरकार में अप्रत्यक्ष रूप से इस मिशनरी केन्द्र को संरक्षण देकर राजस्थानी समाज में ईसाई धर्म फैलाने में बड़ा योगदान दिया।

संदर्भ ग्रन्थ सूची –

1. डॉ. गोपाल व्यास (1993) "मेवाड़ का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन (18वीं–19वीं शताब्दी) राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर पृ.सं. 1–3
2. डॉ. गौरीशंकर हीराचन्द औझा (1932) "उदयपुर राज्य का इतिहास" वैदिक मंत्रालय, अजमेर, पृ.सं. 1–2
3. डॉ. उम्मेदसिंह इन्दा (2005) "राजस्थान में स्वाधीनता संघर्ष राज्य शासन एवं राजनीति" राजस्थानी ग्रन्थगार, जोधपुर पृ.सं. 7–8
4. बेस, सुखबीर सिंह (2006) "मध्य भारत की देशी रियासतों में ब्रिटीश हस्तक्षेप" राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर पृ.सं. 71–74
5. जन एम.एस. (2009) "आधुनिक राजस्थान का इतिहास", पंचशील प्रकाशन, जयपुर पृ.सं. 46–48
6. डॉ. ब्रजकिशोर शर्मा (1993) "आधुनिक राजस्थान का आर्थिक इतिहास (1818–1949) पब्लिकेशन स्कीम, जयपुर पृ.सं. 12–13
7. औझा. गौरीशंकर हीराचन्द (1932) "उदयपुर राज्य का इतिहास" वैदिक यंत्रालय, अजमेर पृ.

(A) औझा, उदयपुर राज्य का इतिहास भाग-2, पृ.सं. 750–752

सं. 119–122

8. सर अल्फ्रेड लायल (1882) " एशियाटिक स्टडीज : रिलीजिअन्स एण्ड सोशियल" पृ.सं. 207–219
9. गोपाल व्यास (1993) "मेवाड़ का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन' (18वीं–19वीं शताब्दी) राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर पृ.सं. 25–27
10. कर्नल जेम्स टॉड, "एनाल्स एन्ड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान", पृ.सं. 238–240
11. मेहता संग्राम सिंह कलेक्शन, फाईल 221–259, बस्ता 14
12. डॉ. ब्रजकिशोर शर्मा (1993) "आधुनिक राजस्थान का आर्थिक इतिहास (1818–1949 ई.) पब्लिकेशन्स स्कीम, जयपुर पृ.सं. 21–23
13. डॉ. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, राजपूताना का इतिहास (पांचवी जिल्द, पहला भाग) बीकानेर राज्य का इतिहास, प्रथम खण्ड, 1939 पृ.सं. 24–25
14. डॉ. गोपीनाथ शर्मा, सोशल लाइफ इन मिडाइवल राजस्थान पृ.सं. 319–320 दि इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया जिल्द **XXI** पृ.सं. 133–134
15. डॉ. हैतसिंह वाघेला (2005) राजस्थान के इतिहास की रूपरेखा (प्रारम्भ स 1949 ई तक) विश्व भारती पब्लिकेशन, नई दिल्ली पृ.सं. 201–203
16. रामनारायण चौधरी : आधुनिक राजस्थान का उत्थान, पृ.सं. 57–58
17. डॉ. कालुराम शर्मा : उन्नीसवीं सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पृ. सं. 154–155
18. डॉ. एम.एस.जैन : आधुनिक राजस्थान का इतिहास, पृ.सं. 280–281
19. डॉ. गोपीनाथ शर्मा (2004) आधुनिक राजस्थान का इतिहास, पृ.सं. 166–168
20. जी. एन. शर्मा – सोशल लाइफ इन मेडीवल राजस्थान, पृ.सं. 109–111
21. जी. एन. शर्मा – सोशल लाइफ इन मेडीवल राजस्थान, पृ.सं. 109–111
22. ओझा, उदयपुर राज्य का इतिहास भाग–2, पृ.सं. 750–752
23. डॉ. एम. एस. जैन (2017) आधुनिक राजस्थान का इतिहास, राजस्थान अध्ययन केन्द्र,

- जयपुर, पृ.सं. 184–188
- 24 वीर विनोद, भाग 2, पृ.सं. 2196–97
- 25 डॉ. निर्मला गुप्ता (1983) राजस्थान 1790–1862 अराजकता से व्यवस्था की ओर,
पंचशील प्रकाशन, जयपुर पृ.सं. 136–137
- 26.जी. एन. शर्मा, सोशल लाइफ इन मेडीवल राजस्थान, पृ.सं. 107–108
- 27.डॉ. रामप्रसाद (1998), "आधुनिक राजस्थान का वृहत इतिहास" (1707–1818 ई) राजस्थान
हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर प.सं. 372–373
- 28.डॉ. गोपीनाथ शर्मा (1994) "आधुनिक राजस्थान का इतिहास", ग्रन्थ भारती जयपुर पृ.सं.
249–250
- 29.गोपाल व्यास, (1988) मेवाड़ का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, राजस्थान साहित्यमाजशास्त्र
-